



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 29/2018

बंशीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां
.....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : स्वयं वादी

दायरा दिनांक: 24.09.2018

निर्णय दिनांक : 24.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भगवानपुरा की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2074-77 की खाता संख्या 215 खसरा नं0 280 रकबा 1.76 है0 आराजी की राजस्व जमाबंदी में वादी माधोलाल, पन्नालाल पुत्रान रतनलाल जाति नाई राधाकिशन प्रभू पुत्रान पन्नालाल व चन्दा पुत्र नाराण जाति मेर सा0 देह हि0 बराबर दर्ज है, जबकि मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी माधोलाल वल्द रतनलाल जाति नाई पन्नालाल वल्द राधाकिशन प्रभू वल्द पन्नालाल व चन्दा वल्द नारान जाति मेर सा0 देह दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार सही इन्द्राज माधोलाल वल्द रतनलाल जाति नाई पन्नालाल वल्द राधाकिशन प्रभू वल्द पन्नालाल व चन्दा वल्द नारान जाति मेर सा0 देह हि0 बराबर होना चाहिए।

अतः चौसाला सम्वत 2074-77 की खाता संख्या 215 खसरा नं0 280 रकबा 1.76 है0 आराजी की राजस्व जमाबंदी ग्राम भगवानपुरा में गलत इन्द्राज माधोलाल, पन्नालाल पुत्रान रतनलाल जाति नाई राधाकिशन प्रभू पुत्रान पन्नालाल व चन्दा पुत्र नाराण जाति मेर सा0 देह हि0 बराबर हजफ कर माधोलाल वल्द रतनलाल जाति नाई पन्नालाल वल्द राधाकिशन प्रभू वल्द पन्नालाल व चन्दा वल्द नारान जाति मेर सा0 देह हि0 बराबर इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरेईजलास मजमेआम में सनाया गया।